यू० पी० बैंक इम्प्लाईज यूनियन

पंजीकरण संख्या–538
ए.आई.बी.ई.ए. से संबद्ध
केन्द्रीय कार्यालय : 106 / 107 द्वितीय तल, ब्लाक संख्या 26 / 2 / 4, संजय प्लेस, आगरा–282002
पत्र व्यवहार : 3 / 17, विभव नगर, आगरा–282 001, मो0: 09837472750
फोन / फैक्सः (नि0) 0562–4044383, **E-mail: mmrai_2509@yahoo.co.in & mmrai2509@gmail.com**

परिपत्र संख्या : 2016–19 / 84 / 2017 **दिनांक :** 25.09.2017

सभी प्रान्तीय पदाधिकारियों, कार्यकारिणी सदस्यों
जिला इकाईओं के मंत्रियों / अध्यक्षों हेतु

प्रिय साथियों,

समूह मेडीकल बीमा योजना

उपरोक्त विषय में हमने अपने विभिन्न परिपत्रों के माध्यम से सेवारत तथा सेवानिवृत्त कर्मचारियों / अधिकारियों के लिए समूह मेडीकल बीमा योजना के नवीनीकरण के विभिन्न तथ्यों के विषय में अवगत कराया था। एआईबीईए द्वारा पिछले वर्ष योजना के कार्यान्वयन में कर्मचारियों द्वारा सामना की जाने वाली विभिन्न समस्याओं को आईबीए के साथ उठाया गया था। एआईबीईए ने इस विषय में अपना परिपत्र पत्र संख्या 28 / 33 / 2017 / 33 दिनांक 23.09.2017 जारी किया है जिसका अनूदित सार हम आपकी सूचना एवं संज्ञान हेतु नीचे प्रस्तुत कर रहे हैं।

अभिवादन सहित,
आपका साथी,

(मदन मोहन राय)
महामंत्री

प्रिय साथियों,

विषय : समूह मेडीकल बीमा योजना

इकाईओं को ज्ञात है कि 10वें द्विपक्षीय समझौते के तहत, एक नई समूह मेडीकल बीमा योजना पहले की आंतरिक क्षतिपूर्ति योजना के स्थान पर आरंभ की गई थी। यह योजना अक्टूबर, 2015 से व्यवहार में है और प्रबन्धन बफर योजना, विशेष रोगों के लिए अनुग्रह राशि, नकदीरहित उपचार, आदि के साथ में अवार्ड स्टाफ के लिए रू0 3 लाख और अधिकारियों के लिए रू0 4 लाख के कवर के साथ सभी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए सम्पूर्ण बीमा प्रीमियम का भुगतान कर रहा है।

हमारे अनुभव और हमारी यूनियनों से प्राप्त सूचनाओं से, पिछले वर्ष हमने आईबीए के साथ कुछ मुद्दे उठाये थे और योजना के कार्यान्वयन में बैंकों / कर्मचारियों / सेवानिवृत्तों द्वारा सामना की जाने वाली कुछ कठिनाईओं का उल्लेख किया था। उठाये गए कुछ मुद्दे इस प्रकार थे :

i. जबकि योजना में लिपिकों / अधीनस्थों तथा अधिकारियों के लिए क्रमशः रू0 3 लाख और रू0 4 लाख की प्रतिपूर्ति प्लस उभयरोधी कोष से अतिरिक्त कवरेज शामिल है। कुछ प्रबन्धन ये धारणा बनाये हुए हैं कि कवरेज केवल रू0 3 लाख और रू0 4 लाख तक ही सीमित है। बफर राशि के उपयोग के संबंध में सही स्थिति को सभी बैंकों को उपयुक्त प्रकार से स्पष्ट किया जाना चाहिए और बदले में सभी बैंकों द्वारा बड़े पैमाने पर कर्मचारियों को।

ii. योजना का एक महत्वपूर्ण लाभ अस्पतालों में उपचार के लिए उपलब्ध नकदीरहित सुविधा है। किन्तु घटनायें हमारे संज्ञान में आ रही हैं कि कई केन्द्रों पर, कई अस्पताल अनुबंध द्वारा शामिल नहीं हैं तथा इसलिए कर्मचारियों से उपचार के लिए भुगतान करने और फिर प्रतिपूर्ति की माँग के लिए कहा जाता है। आईबीए

जारी पृष्ठ 2

तथा बैंकों को टीपीए के साथ सुनिश्चित करने के लिए मामले को उठाना चाहिए कि अधिकतम अस्पताल अनुबंध द्वारा शामिल हों ताकि कर्मचारियों को नकदीरहित उपचार की सुविधा का लाभ उठाने के लिए कठिनाईयाँ न उठानी पडें।

iii. समझौता तथा योजना स्पष्ट तौर पर उपलब्ध कराते हैं कि कर्मचारी पूर्व की भांति बैंकों को बिल प्रस्तुत करेंगे तथा बैंकों को प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए टीपीए को बिल प्रस्तुत करना चाहिए। लेकिन कुछ प्रबन्धन कर्मचारियों से सीधे टीपीए को बिल प्रस्तुत करने के लिए कह रहे हैं। इसे रोका जाना चाहिए और उपयुक्त निर्देश दिये जाने चाहिए।

iv. अस्पताल में उपचार के दौरान होने वाली मृत्यु के उदाहरण हैं और यदि यह रविवार या अवकाश को होता है, अस्पताल/टीपीए बचाव के लिए नहीं आते और परिजन समय पर रोगी का शरीर प्राप्त करने में कठिनाईयों का सामना कर रहे हैं। इस तरह की बातें होने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

v. हमारे ध्यान में ऐसी घटनायें भी आई हैं जहाँ कुछ उपचारों जैसे डायलिसिस आदि की टीपीए द्वारा अनुमति नहीं है हालांकि ये योजना द्वारा शामिल हैं और कर्मचारियों को अस्पताल को लागत का भुगतान करने के लिए मजबूर किया जाता है। इसलिए हमारी योजना को टीपीए द्वारा उचित प्रकार से लागू करना चाहिए और कर्मचारियों को ऐसी मुश्किलों में नहीं डालना चाहिए।

vi. घरेलू उपचार के लिए बैंकों को प्रस्तुत किये गये बिलों के मामले में, टीपीए द्वारा अनुचित देरी की कई शिकायतें हैं और प्रबन्धन दावों की शीघ्रता के लिए उनके साथ सम्पर्क करने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। इस विषय में विशेष ध्यान की आवश्यकता है और आवश्यक कदम लिये जाने जाने हैं।

vii. हालांकि उभयरोधी कॉर्पोरेट कोष की सुविधा रू0 3 लाख/रू0 4 लाख से ऊपर के दावों के लिए उपलब्ध है, कई बैंक उभयरोधी सीमा के अंतर्गत उपयोग/दावों के लिए अब तक दिशानिर्देश जारी कर रहे हैं। यह सुविधा के वास्तविक उद्देश्य को परास्त करता है। आईबीए को उभयरोधी कॉर्पोरेट कोष राशि के उपयोग पर उचित निर्देश जारी करने की सलाह सभी बैंकों को देनी चाहिए।

आईबीए ने इन मुद्दों पर विचार करने का आश्वासन दिया और और यूनियनों से चाहते थे कि कोई अन्य समस्या उन्हें सूचित की जाये जिनका कर्मचारी आम तौर पर सामना करते हैं।

11वें द्विपक्षीय समझौते के लिए हमारे माँगपत्र पर आईबीए के साथ वर्तमान वार्ता में, हमने फिर से इन मुद्दों को उनके साथ उठाया है। इस बीच, समूह मेडीकल बीमा योजना अक्टूबर, 2017 से सितम्बर, 2018 तक और एक वर्ष के लिए प्रीमियम की उसी दर के साथ नवीनीकृत की जा रही है।

हम एक बार पुनः हमारी सभी यूनियनों से अनुरोध करते हैं कि हमें प्रबंधन/टीपीए/यूआईआईसी की तरफ से हमारे सदस्यों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं के विवरणों और प्रकार के बारे में बतायें।

हम अपनी यूनियनों द्वारा इस मुद्दे पर तुरंत और प्राथमिकता से ध्यान देने की माँग करते हैं।

अभिवादन सहित,

आपका साथी,
ह0...
सी.एच. वेंकटचलम्
महामंत्री